लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बरः–126/2019 प्रार्थना पत्र
मनालाल पिता तुलच्छा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
———प्रार्थी

बनाम

अमरचन्द पिता छीतर गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
नारू पिता रामा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ाति गट्टू देवी पत्नि रामा, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
भाला पिता नाथू उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
भैरू पिता हजारी कुम्हार, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लालू पिता हजारी कुम्हार, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
गोपाल पिता रूपा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
नारायण पिता रूपा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवांड़ा (राज0)
बालू पिता उदा लुहार, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
। देवकिशन पिता हजारी गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
ीमति बाली देवी पत्नि हीरा खारोल, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ीमान् सरपंच/सचिव महोदय, ग्राम पंचायत, रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–10.07.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरिया पटवार रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 135, 138, 139, 146 कुल 4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात मा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.5..2019 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे ,पत्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1 से 13 को कितनी ही विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 21.6.2019 को फा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 135, 138, 139, 146 कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि की सीमा ारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये ालेख निरीक्षक, गुरला को 900/–रूपये (नौ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त जाता हैं। कमिश्नर फीस प्राथी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की ाी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner